मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

पेंच व्यपवर्तन परियोजना, जिला छिंदवाड़ा

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2018-19

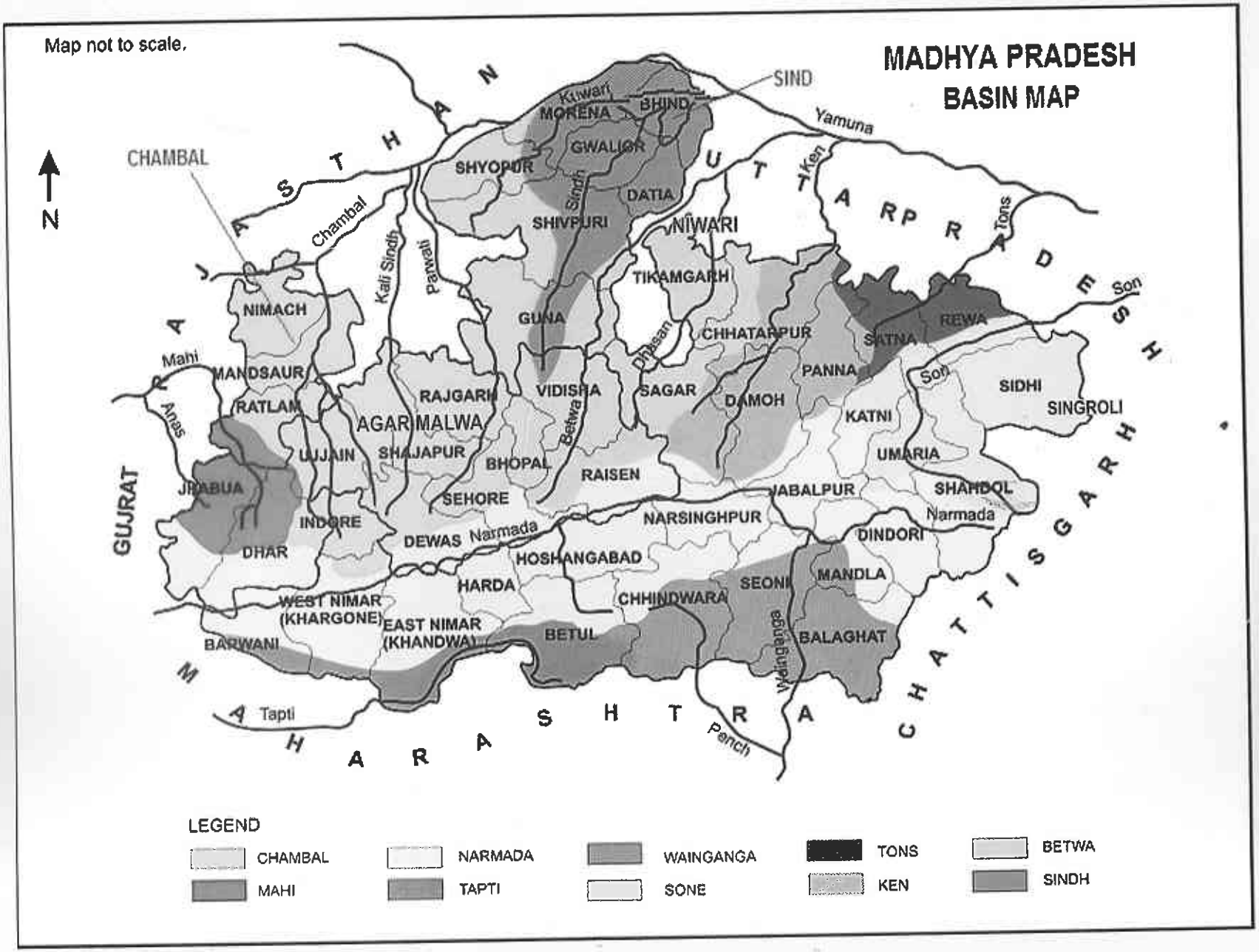

MADHYA PRADESH
BASIN MAP
Map not to scale.
N
LEGEND
CHAMBAL
MAHI
NARMADA
TAPTI
WAINGANGA
SONE
TONS
KEN
BETWA
SINDH
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
GUJRAT
CHAMBAL
SIND
Yamuna
Ken
Tons
Son
Kuwari
Sindh
Parwati
Kali Sindh
Chambal
Betwa
Dhasan
Narmada
Wainganga
Pench
Tapti
Mahi
Anas
MORENA
BHIND
GWALIOR
DATIA
SHIVPURI
SHYOPUR
GUNA
NIWARI
TIKAMGARH
CHHATARPUR
PANNA
SATNA
REWA
SIDHI
SINGROLI
SHAHDOL
UMARIA
KATNI
DAMOH
SAGAR
VIDISHA
RAISEN
BHOPAL
SEHORE
RAJGARH
AGAR MALWA
SHAJAPUR
DEWAS
UJJAIN
INDORE
DHAR
JHABUA
RATLAM
MANDSAUR
NIMACH
WEST NIMAR (KHARGONE)
EAST NIMAR (KHANDWA)
BARWANI
HARDA
HOSHANGABAD
BETUL
CHHINDWARA
NARSINGHPUR
JABALPUR
SEONI
BALAGHAT
MANDLA
DINDORI

मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2018-19

बानसुजारा परियोजना जिला टीकमगढ़ (एम.एस. प्लेट कटिंग एवं रोलिंग इकाई)

जल संसाधन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018-19

■ विभाग का नाम	**मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग**
■ मंत्री	माननीय श्री हुकुम सिंह कराड़ा

मंत्रालय

■ अपर मुख्य सचिव	श्री एम. गोपाल रेड्डी
■ प्रमुख सचिव	श्री शिवशेखर शुक्ला
■ उपसचिव	श्री व्ही.एस. टेकाम
■ अवर सचिव	श्री पी.के. खरे

विभागाध्यक्ष

■ प्रमुख अभियन्ता	श्री राजीव कुमार सुकलीकर
■ आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास	श्री श्रीकांत दाण्डेकर

वीरमपुरा पम्प हाउस (मोहनपुरा परियोजना जिला राजगढ़)

धोबीपुरा पम्प हाउस (मोहनपुरा परियोजना जिला राजगढ़)

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय-1	विभाग की संरचना	1
1.1	प्रदेश की सामान्य जानकारी	1
1.2	विभाग की संरचना	2
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण	3
1.4	विभाग का दायित्व	4
1.5	विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य	5
अध्याय-2	विभागीय बजट	7
2.1	बजट पूर्वावलोकन	7
2.2	बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय	7
2.3	विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	7
अध्याय-3	राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें	11
3.1	विभाग के अधीन परियोजनाएँ	11
3.1.1	वृहद परियोजनाऐं	11
3.1.2	मध्यम परियोजनाऐं	16
3.1.3	लघु सिंचाई योजनाऐं	22
3.2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	23
3.2.1	ए.आई.बी.पी.(त्वरित सिंचाई लाभ योजना)	23
3.2.2	पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.)	23
3.2.3	कमाण्ड क्षेत्र विकास	24
3.3	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	26
3.4	नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनायें	27
3.5	डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP)	28
3.6	बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज	29
3.7	केन बेतवा लिंक परियोजना	30
अध्याय-4	सिंचाई एवं राजस्व	33
4.1	सिंचाई	33
4.2	राजस्व	36
4.3	प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति	38

अध्याय-5	विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएँ	39
5.1	प्रमुख अभियंता कार्यालय अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचनाएं	39
5.1.1	सतर्कता प्रकोष्ठ	39
5.1.2	न्यायालयीन प्रकोष्ठ	40
5.1.3	विधानसभा प्रकोष्ठ	41
5.1.4	सूचना का अधिकार	41
5.2	आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचना	42
5.2.1	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संचालनालय (पी.आई.एम.)	42
5.3	मुख्य अभियंता बोधी के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचनाएं	43
5.3.1	बांध सुरक्षा संगठन	43
5.3.2	सिंचाई अनुसंधान संचालनालय	44
5.3.3	जल मौसम विज्ञान संचालनालय	46
5.3.4	भू-जल सर्वेक्षण ईकाई	47
5.4	मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी	48
5.4.1	केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई	48
अध्याय-6	जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि	49
अध्याय-7	विभाग की प्रतिबद्धताएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	51
7.1	विभाग की प्रतिबद्धता	51
7.2	महत्वपूर्ण उपलब्धियां	52

अध्याय एक

विभाग की संरचना

1.1 प्रदेश की सामान्य जानकारी:

मध्यप्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टर है। जलवायु मूलत: उष्ण कटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। इसे 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यत: उत्तर पश्चिमी भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुसार 726.27 लाख है, जो देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या का 69.08 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। कृषकों में से 52 प्रतिशत कृषक सीमांत कृषक हैं।

1.1.1 मध्यप्रदेश जल स्त्रोतों से संपन्न राज्य है। राज्य में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती पेंच, वैनगंगा एवं माही नदियों का उद्गम स्थल है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिम विहीन पर्वतों से है। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा, माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर, सोन नदी पूर्व की ओर, चम्बल, बेतवा, केन उत्तर की ओर तथा पेंच एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 75 प्रतिशत निर्भरता पर 81,500 मिलियन घनमीटर है जिसमें 56,800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24,700 मिलियन घनमीटर जल अंतर्राज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34,159 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

1.1.2 मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। विभाग द्वारा दिसंबर 2018 तक सकल सैंच्य क्षेत्र 33.00 लाख हेक्टर विकसित किया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु खरीफ में 2.49 लाख हेक्टर एवं रबी में 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य 29.37 लाख हेक्टर के विरुद्ध 27.00 लाख हेक्टर में सिंचाई की जा चुकी है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल 29.49 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है। आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 45 लाख हेक्टर है। विभाग द्वारा निर्मित बाँधों से औद्योगिक इकाईयों के साथ-साथ अधिकांश महानगरों, नगरों एवं कस्बों में पेयजल हेतु जल भी प्रदाय किया जा रहा है।

1.2 विभाग की संरचना

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। जल संसाधन विभाग को, प्रदेश में शासकीय जल स्त्रोतों से जल संसाधन परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन (नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं को छोड़कर) का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के सैंच्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभाग के अधीन है। जल संसाधन विभाग की स्थापना में दो विभागाध्यक्ष (1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन एवं 1 आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय) एवं 14 मुख्य अभियन्ता के पद (सिविल तथा वि/यॉ) स्वीकृत हैं।

1.2.1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मैदानी मुख्य अभियंताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है:-

1. चम्बल बेतवा कछार, भोपाल:
जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर।

2. नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर:
जिला इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर एवं आगर।

3. जल संसाधन विभाग होशंगाबाद:
जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन एवं सीहोर

4. यमुना कछार, ग्वालियर:
जिला ग्वालियर, श्योपुर-कलां, भिण्ड, मुरैना एवं शिवपुरी (सिंध परियोजना द्वितीय चरण को छोड़ कर) तथा जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कोटा (राजस्थान)।

5. गंगा कछार, रीवा:
जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।

6. धसान केन कछार, सागर:
जिला सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी एवं टीकमगढ़।

7. बैनगंगा कछार, सिवनी:
जिला सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं कटनी ।

8. राजघाट नहर परियोजना, दतिया:
राजघाट नहर, सिंध परियोजना द्वितीय चरण एवं बानसुजारा परियोजना का कार्य जिससे दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर एवं झांसी (उत्तर प्रदेश) जिलों में सिंचाई होती है।

9. परियोजना संचालक, एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़ :

परियोजना क्रियान्वयन इकाई,एम.के.पी.एम.यू.,राजगढ़ का गठन दिनांक 20.03.2018 को मोहनपुरा एवं कुण्डालिया वृहद् परियोजना के निर्माण हेतु किया गया।

1.2.2 मुख्य अभियन्ता (विशेष प्रयोजन)

1. मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधी) भोपाल
2. मुख्य अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी भोपाल
3. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) केन्द्रीय निविदा इकाई, भोपाल
4. मुख्य अभियंता, नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई, भोपाल

1.2.3 जल संसाधन विभाग अंतर्गत वृहद् परियोजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने की दृष्टि से तीन पी.एम.यू. इकाई का निम्नानुसार गठन हुआ है :–

1. पदेन परियोजना संचालक, एस.एस.पी.एम.यू., इन्दौर का गठन दिनांक 15.06.2018 को किया गया। (शामगढ़–सुवासरा, गरोठ एवं भानपुरा नहर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु)
2. पदेन परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू., सागर का गठन दिनांक 22.02.2018 को किया गया। (बीना काम्प्लेक्स परियोजना, पंचमनगर, साजली, जूड़ी एवं सीतानगर मध्यम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु)।
3. पदेन परियोजना संचालक, ओ.आर.पी.एम.यू. बामोरकला, का गठन दिनांक 15.03.2018 को किया गया। (लोअर ओर वृहद् परियोजना एवं चंदेरी उद्वहन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु)

1.2.4 आयुक्त, कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, भोपाल

विभाग की परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास एवं बेहतर भूमि व जल प्रबंधन के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह संरचना गठित है ।

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभागान्तर्गत प्रमुख अभियंता, आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास (प्रमुख अभियन्ता स्तर), 13 मुख्य अभियंता (नागरिक), एक मुख्य अभियन्ता (वि.यां.), 33 मंडल कार्यालय, आयाकट से संबंधित 8 प्रकोष्ठ, 124 संभाग एवं 515 उपसंभाग (वि.यां./भूजल इकाई सहित) कार्यरत हैं। इस विभाग की संरचना से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में अमला उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य तकनीकी परीक्षक, लोकायुक्त संगठन, जल

संसाधन विभाग मंत्रालय एवं प्रदेश के अन्य विभागों/प्राधिकरणों में शासकीय सेवकों की सेवाएँ शासन की अनुमति उपरांत प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रथम श्रेणी के 345, द्वितीय श्रेणी के 1,147, तृतीय श्रेणी के 8,864 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2,000 पद स्वीकृत हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ-साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के लगभग 6,348 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अमले द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से सबंधित सर्वेक्षण, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। स्थाई कर्मियों की संख्या भी लगभग 11,343 है।

1.4 विभाग का दायित्व

मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत :

- राज्य के जल संसाधन का आंकलन करना और एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की व्यापक योजना बनाना, नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना।
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के विकास के क्रियान्वयन का कार्य करना।
- भू-जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर, सिंचाई के लिए जल संसाधनों के सम्यक अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंकडों को एकत्र करना, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा नीति निर्धारण।
- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तथा निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- बांधो, नहरों का समग्र रूपांकन, निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रतिकृति अध्ययन।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा जल विज्ञान की सहायता से जलाशयों का बाढ़ के समय परिचालन।

- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की नीति के अनुरूप सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- पुराने बांधों का सुदृढ़ीकरण करना।
- केन्द्र शासन को जल संसाधन से सबंधित विभिन्न विषयों पर सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से सबंधित परिषदों में प्रदेश का पक्ष रखना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से राज्यों के मध्य अनुबंध अनुसार सिंचाई के लिये जल प्राप्त/प्रदाय करना।
- जल से सबंधित विषयों पर अन्य विभागों को सहयोग देना ।
- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य एवं संवर्ग प्रबन्धन।
- विभागीय कार्यों की दरों को समय-समय पर पुनरीक्षित करना, तकनीकी निर्देश, नियम इत्यादि तैयार करना।

1.5 विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

1.5.1 प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रदेश के लिये कार्यरत हैं। प्रमुख अभियंता शासन के लिए अपने कार्यक्षेत्र हेतु सलाहकार हैं तथा मुख्य अभियन्ताओं के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।

1.5.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विकास की समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सर्वेक्षण, निर्माण, अनुरक्षण कार्य एवं सिंचित क्षेत्र का विकास कराते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र की कार्य योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5.3 अधीक्षण यंत्री

अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के अधीन लेखा, कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अधीक्षण यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अतंर्गत कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये नियंत्रण अधिकारी हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों में गतिशीलता प्रदान करना भी उनका दायित्व है।

1.5.4 कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख हैं। वे अधीक्षण यंत्री के नियंत्रण में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालन यंत्री के कार्यों में सिंचाई, परियोजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं सिंचाई के साथ अन्य समस्त अभियांत्रिकीय कार्य हैं। कार्यों पर नियंत्रण रखकर क्रियान्वयन कराना कार्यपालन यंत्री का दायित्व है। जल संसाधन संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री उसके जिले में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि का काम करता है।

1.5.5 सहायक यंत्री

कार्यपालन यंत्री के अधीन सहायक यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण तथा सिंचाई कराने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। सहायक यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से मापदण्ड, ड्राइंग एवं नियमों के अंतर्गत कार्यों का सम्पादन कराने के लिये उत्तरदायी हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुए सहायक यंत्री को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना है एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये उन्हें अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

1.5.6 उपयंत्री

उपयंत्री कार्य स्थल पर कार्यों के प्रभारी हैं जो कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों के निष्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित करते हैं। जल कर वसूली के लिए उन्हें नहर अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। उपयंत्री जल उपभोक्ता संस्था के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी हैं।

अध्याय दो

विभागीय बजट

2.1 बजट पूर्वावलोकन :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-2012 में राशि रु. 8715.33 करोड़ निवेश कर निर्मित सैंच्य क्षेत्र में 5.07 लाख हेक्टर क्षेत्र की वृद्धि कर कुल 24.53 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (2012-2017) में राशि रु. 21,827.55 करोड़ निवेश कर 5.41 लाख हेक्टर की वृद्धि कर कुल 29.94 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया । वर्तमान में दिसंबर 2018 तक की स्थिति में कुल सैंच्य क्षेत्र लगभग 33.00 लाख हेक्टेयर विकसित किया जा चुका है ।

2.2 बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय

विभाग का वर्ष 2014-15 से बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	योजना मद		गैर योजना मद		कुल योग	
	प्रावधान	निवेश	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2014-2015	3,609.66	3,540.88	589.04	587.74	4,198.70	4,128.62
2015-2016	5,295.74	5,228.00	581.63	580.85	5,877.37	5,808.85
2016-2017	6,759.54	6,745.66	656.51	620.91	7,416.15	7,366.57
	पूंजीगत अनुभाग		राजस्व		कुल योग	
2017-2018	6,128.78	6,078.65	673.64	621.37	6,802.42	6,700.02
2018-2019 (दिसंबर 2018 तक व्यय)	5,798.18	4,361.68	1,231.89	793.03	7,030.07	5,154.71

2.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी समस्त प्रशासनिक, तकनीकी आदेश व निर्देश एवं विभागीय जानकारियाँ, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

2.3.1 ई-प्रोक्योरमेंट :-

विभाग में ई-निविदा प्रणाली 01.02.2009 से आरम्भ हुई। प्रारम्भ में यह व्यवस्था राशि रु. 1 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए थी, परन्तु वर्तमान में विभाग की समस्त निविदाएँ ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

निविदाओं के निराकरण में लगने वाले समय में कमी, पारदर्शिता एवं ठेकेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने वर्ष 2011 में केन्द्रीकृत निविदा प्रकोष्ठ का गठन किया था। रु. 20.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण से एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

वर्ष 2018-19 में (दिसम्बर 2018 तक) रुपये 20 लाख से अधिक राशि की ई-निविदा के माध्यम से प्रकोष्ठ द्वारा आमंत्रित निविदाओं एवं कार्यों, उनकी लागत एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा किये गये कार्यों की संख्या	आमंत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि (रु. लाख में)	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों की कुल राशि (रु.लाख में)
297	1033041.594	286	974845.176

2.3.2 विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन करने के लिए 'इन्टरप्राइज इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम-ई. आई.एम.एस' तैयार किया गया है जिसके उपयोग से मानिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रमुख मॉड्यूल जो अभी उपयोग किए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:-

- **'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम'**: विभाग के सभी वृहद एवं मध्यम जलाशयों की प्रतिदिन एस.एम.एस. से जलस्तर एवं जल की मात्रा की जानकारी वर्षाकाल में संकलित की जाती है।
- **'ई-मेजरमेंट बुक'**: रुपए 10 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों के अनुबंधों में ठेकेदार के बिल तैयार करने में इसका उपयोग किया जा रहा है।
- **'नॉन एग्रीकल्चर रेवेन्यू मानिटरिंग'** : औद्योगिक उपयोग के प्रदाय जल के बिल तैयार करने एवं इस मद की राजस्व प्राप्ति की जानकारी की मानिटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- **'इरीगेशन मानिटरिंग मॉड्यूल'**: जलाशयों में जल के संग्रहण, सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण एवं उपलब्धि की समीक्षा वेबसाइट पर जानकारी दर्ज कर की जाती है। रबी सीजन में सिंचाई की जानकारी पाक्षिक रूप से माह की 5 एवं 20 तारीख तक वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।

- **निविदा संबंधी आदेश:** (Tender Related Orders) इस खण्ड के अंतर्गत निविदा विज्ञप्ति, निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचना, निविदा मूल्यांकन संबंधी बैठकों एवं निविदा संबंधी नियमों/आदेशों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।
- **नवीन स्वीकृतियाँ:** (New Sanctions) इस खण्ड के अंतर्गत नवीन स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेशों का प्रकाशन एवं विगत समय में जारी आदशों का संकलन प्रदर्शित किया जाता है।
- विभाग प्रमुख एवं शासन से जारी होने वाले समस्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- सामान्य तौर पर उपयोगी विभागीय तकनीकी परिपत्र, दरसूची, विनिर्देश एवं अधिनियम भी संबंधित खण्डों के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से एम.पी. मोबाइल एप को विभागीय वेबसाइट से जोड़कर निम्नानुसार नागरिक सेवाएं Mobile Governance के अंतर्गत दी जा रही है:-

  (अ) निविदाओं की सूचना (NIT)

  (ब) स्वीकृत/अस्वीकृत निविदाएं (Tender orders)

  (स) महत्वपूर्ण आदेश/पत्र (What is new)

  (द) तकनीकी परिपत्र (Technical circulars)

  (इ) विभागीय एकीकृत दर सूची (UCSR)

2.3.3 ई-ऑफिस :-

दिनांक 15-11-2018 से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को शासन स्तर से ई-ऑफिस के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे शासकीय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नस्तियों का संपादन ई-ऑफिस द्वारा किया जा रहा है ।

ई-ऑफिस के अंतर्गत नस्तियों का संपादन शीघ्रता के साथ पारदर्शिता से किया जा रहा है, जिससे कार्य के सुचारू रूप से संचालन में गति आयी है ।

उक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपयोग से जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कागजी दस्तावेज संधारित करने की आवश्यकता घटकर लगभग 50 प्रतिशत हो गई है एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान द्रुतगति से होने लगा है। इससे विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

त्योंथर बहाव परियोजना जिला रीवा अंतर्गत निर्माणाधीन एक्वाडक्ट

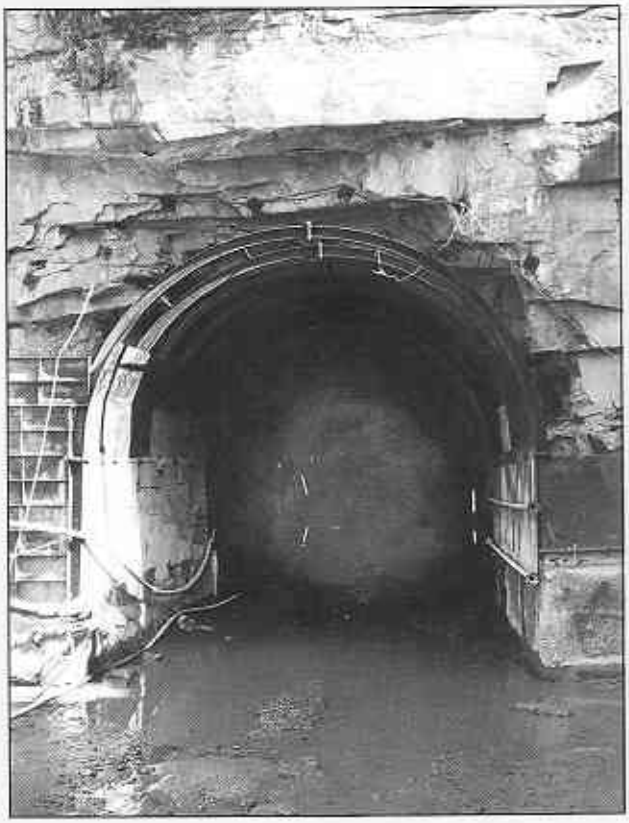

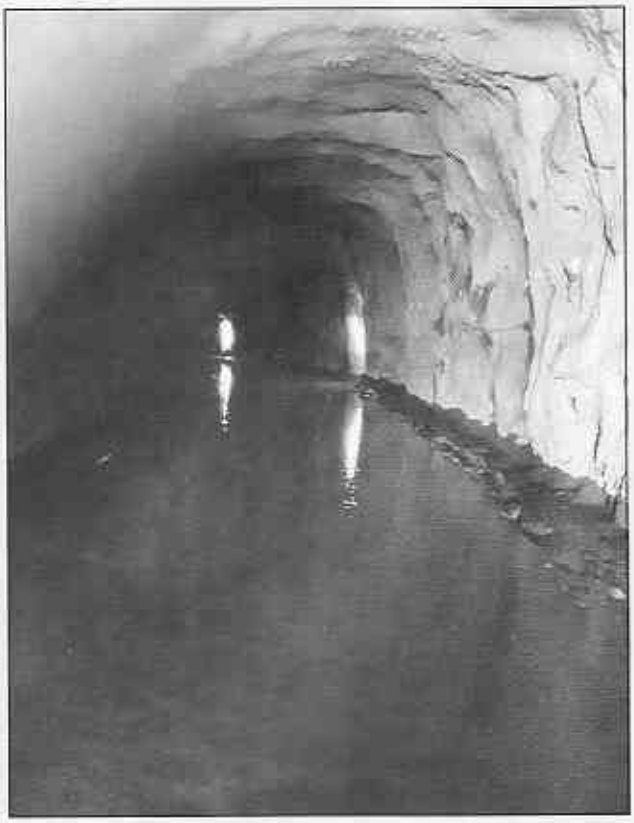

त्योंथर बहाव परियोजना जिला रीवा अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग

अध्याय तीन

राज्य परियोजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनाएं

सिंचाई परियोजनाएं

3.1 विभाग के अधीन परियोजनाएं

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 31 वृहद्, 57 मध्यम तथा 481 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2018 तक लगभग 33.00 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। शासन की मंशानुरूप आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 45 लाख हेक्टर है ।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–11–09/2017/1/9 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई मिशन का गठन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया। सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई योजनाओं के द्वारा उच्च स्तर पर स्थित क्षेत्रों में भी सिंचाई करना संभव है तथा सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता भी काफी कम आती है। जल के इष्टतम उपयोग होने से जल अधिकता से होने वाली हानि से भी फसलों का बचाव होता है तथा प्रति हेक्टर अच्छी गुणवत्ता वाला अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 24 वृहद एवं 35 मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इनके पूर्ण होने पर क्रमशः 12,31,265 हेक्टर एवं 2,49,725 हेक्टर कुल 14,80,990 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी।

3.1.1 वृहद सिंचाई परियोजनाएं:

प्रदेश में 19 वृहद् सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की चुकी है। निम्न 31 वृहद् परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

3.1.1.1 निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाएं :-

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	मोहनपुरा सिंचाई परियोजना	राजगढ़	3866.34	134206	572.96	100%	42%	07/2021	प्रेशराइज्ड पाईप
2	कुंडालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	राजगढ़	3448.00	125000	552.80	100%	4%	09/2021	प्रेशराइज्ड पाईप
3	पार्वती वृहद् परियोजना	राजगढ़	1815.54	48000	162.62	5%	0%	12/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
4	सुठालिया वृहद् परियोजना	राजगढ़	1375.24	40000	139.88	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
5	सम्राट अशोक सागर फेस–II	विदिशा/ रायसेन	110.15	32292	252.13	100%	90%	03/2019	नहर
6	कोठा बैराज सिंचाई परियोजना	विदिशा	515.18	20000	63.51	0%	0%	03/2022	प्रेशराइज्ड पाइप
7	माही परियोजना	धार/ झाबुआ	834.24	33752	135.60	100%	90%	03/2019	नहर व प्रेशराइज्ड पाइप दोनों
8	गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	360.20	21400	79.00	आवश्यक नहीं	70%	06/2019	प्रेशराइज्ड पाइप
9	शामगढ़– सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	1662.47	80000	175.00	आवश्यक नहीं	3%	08/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
10	ताप्ती (चिल्लूर) परियोजना	बैतूल/ खंडवा	2627.95	81600	279.00	0%	0%	03/2022	प्रेशराइज्ड पाइप
11	बाणसागर परियोजना	रीवा/ सीधी / शहडोल/ सतना	3858.73	291620	5429.60	100%	Phase I –98% Phase II 70%	06/2019 10/2019	नहर नहर
12	महान परियोजना	सीधी	486.96	22770	149.76	100%	92%	06/2019	नहर
13	रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परि.	सतना	387.08	20000	–	आवश्यक नहीं	निर्माण कार्य प्रगति पर	09/2020	प्रेशराइज्ड पाइप (बाणसागर परि. से)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
14	मझगवाँ सूक्ष्म सिंचाई परि.	सतना	375.84	20000	–	आवश्यक नहीं	30%	10/2019	प्रेशराइज्ड पाइप (बाणसागर परि. से)
15	नईगढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परि.	रीवा	856.04	50000	–	आवश्यक नहीं	5%	09/2020	प्रेशराइज्ड पाइप (बाणसागर परि.से)
16	गौड़ परियोजना	सिंगरौली	1097.67	34500	96.49	निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में		12/2022	प्रेशराइज्ड पाइप (रिहन्द परि. से)
17	भन्नी परियोजना	शहडोल	280.31	18300	–	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप (बाणसागर परि. से)
18	चंबल सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना	श्योपुर	153.57	12000	–	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		10/2021	प्रेशराइज्ड पाइप (चंबल नहर प्रणाली से)
19	मूंझरी सिंचाई परियोजना	श्योपुर	414.79	11575	54.52	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
20	सिंध परियोजना (द्वितीय चुरण)	शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड	2033.92	162100	834.83	100%	96%	03/2019	नहर
21	बानसुजारा परियोजना	टीकमगढ़	1768.50	75000	276.09	92%	80%	07/2019	प्रेशराइज्ड पाइप
22	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	389.77	20000	–	आवश्यक नहीं	25%	07/2021	प्रेशराइज्ड पाइप (राजघाट नहर से)
23	लोअर ओर परियोजना	शिवपुरी	2208.03	90000	371.80	10%	25%	06/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
24	नौं रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना	दतिया	2244.97	78484	242.87	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
25	पंचमनगर परियोजना काम्पलेक्स	दमोह	674.90	25000	78.88	100%	40%	05/2019	प्रेशराइज्ड पाइप
26	सीतानगर परि.	दमोह	518.09	16200	59.59	निर्माण कार्य प्रगति पर		05/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
27	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	सागर/ विदिशा	3255.31	90000	341.50	निर्माण कार्य प्रगति पर		05/2021	प्रेशराइज्ड पाइप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
28	बण्डा परियोजना	सागर	2610.54	80000	282.82	निर्माण कार्य प्रगति पर		05/2022	प्रेशराइज्ड पाइप
29	हनौता परियोजना	सागर	1392.42	40000	146.84	निविदा, स्वीकृति की प्रक्रिया में		–	प्रेशराइज्ड पाइप
30	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	सिवनी/ छिन्दवाड़ा	2544.57	85000	421.20	100%	85%	06/2019	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप दोनों
31	राजीव सागर परियोजना	बालाघाट	457.58	18615	254.68	100%	99%	03/2020	नहर

3.1.1.2 प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजनाएं :

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	रिहंद उद्वहन परियोजना	सिंगरौली	757.00	38000	–	प्रेशराइज्ड पाइप (रिहंद परि. से)
2	नावदा वृहद परियोजना	बुरहानपुर	659.25	16160	141.55	प्रेशराइज्ड पाइप
3	कुंभराज वृहद परियोजना	गुना	717.08	21600	72.00	प्रेशराइज्ड पाइप
4	आरोन वृहद परियोजना	अशोकनगर	775.23	25300	84.63	प्रेशराइज्ड पाइप
5	व्यारमा सिंचाई परियोजना	दमोह	14600.39	393600	1312.00	प्रेशराइज्ड पाइप
6	पतने परियोजना	पन्ना	3061.22	76000	422.03	नहर
7	लोअर बुधना परियोजना	शिवपुरी	251.00	18000	60.00	प्रेशराइज्ड पाइप
8	कन्हान नदी परियोजना	छिन्दवाड़ा	5000.00	180000	600.00	प्रेशराइज्ड पाइप

3.1.1.3 चिन्हित वृहद सिंचाई परियोजनाएं :

(राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	महानदी परियोजना	कटनी	2470.09	93000	310.80	प्रेशराइज्ड पाइप
2	रामपुरा मनासा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	855.55	40000	145.00	प्रेशराइज्ड पाइप
3	कालीसिंध परियोजना	शाजापुर	3570.00	60000	179.91	प्रेशराइज्ड पाइप
4	मल्हारगढ़ सूक्ष्म परियोजना	मंदसौर	958.42	23000	73.53	प्रेशराइज्ड पाइप
5	कयामपुर सूक्ष्म परियोजना	मंदसौर	1064.00	23000	73.53	प्रेशराइज्ड पाइप
6	शिवना नदी परियोजना	मंदसौर	619.95	25000	103.00	प्रेशराइज्ड पाइप
7	कैलाशपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	रीवा	470.02	18000	60.00	प्रेशराइज्ड पाइप
8	पारम सिंचाई परियोजना	श्योपुर	350.00	10000	40.00	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप दोनों

3.1.1.4 वृहद् परियोजनाओं का ई.आर.एम. **(Extension/Renovation/Modernisation)**

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (%)	पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)
1	तवा परियोजना की नहर प्रणालियों का ई.आर.एम.द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण	552.20	29.04.2016	65%	11/2021
2	बारना परियोजना की समस्त नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. एवं बारना विस्तारीकरण	581.00	15.02.2013	50%	07/2020
योग		1133.20			

3.1.2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं:

प्रदेश में 93 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न 57 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

3.1.2.1 निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ :-

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बरखेड़ा परि.	धार	308.56	9900	52.44	20%	0%	05/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
2	कारम परि.	धार	304.44	8750	40.53	5%	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
3	भाम (राजगढ़) परियोजना	खंडवा	228.11	6100	25.09	2%	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	12/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
4	आंवलिया परि.	खंडवा	165.08	5000	20.15	35%	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	01/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
5	भावसा सिंचाई परियोजना	बुरहानपुर	104.45	2310	13.63	0%	0%	6/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
6	दातुनी परि.	देवास	235.54	9800	49.13	100%	97%	02/2019	नहर
7	इंदौख बैराज	उज्जैन	220.78	6100	28.27	3%	0%	10/2019	प्रेशराइज्ड पाइप
8	पीलियाखाल परि.	शाजापुर	24.99	3500	10.83	90%	50%	03/2020	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप
9	बहरी विस्तार योजना (महान द्वितीय चरण	सीधी	204.01	7500	-	आवश्यक नहीं	55%	06/2019	नहर (महान परि. से)
10	हिरवार सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना	शहडोल	101.00	7000	-	आवश्यक नहीं	30%	09/2021	प्रेशराइज्ड पाइप (बाणसागर परि. से)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	झिन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	सतना	36.17	2600	-	आवश्यक नहीं	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	-	प्रेशराइज्ड पाइप (बाणसागर परि. से)
12	खरसानिया परि.	सीहोर	46.12	4915	-	आवश्यक नहीं	40%	10/2019	नहर (कोलार परि. से)
13	मोंगराखेड़ा परि.	सीहोर	105.72	4000	15.00	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		-	प्रेशराइज्ड पाइप
14	सनकोटा परि.	सीहोर	154.85	5000	21.84	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		-	प्रेशराइज्ड पाइप
15	कान्याखेड़ी परि.	सीहोर	102.71	2400	11.68	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		-	प्रेशराइज्ड पाइप
16	बनेठा उ.सि. योजना	सीहोर	51.56	4080	-	100%	98%	03/2019	नहर (नर्मदा नदी से)
17	सीप कोलार लिंक परियोजना	सीहोर	137.21	6100	-	88%	90%	03/2019	डायवर्सन योजना (कोलार परि. हेतु)
18	दीवानगंज नहर परियोजना	रायसेन	81.34	7000	-	आवश्यक नहीं	90%	03/2019	नहर (स.अ.सा. परि. से)
19	सेमरी मध्यम परियोजना	रायसेन	144.66	5700	29.85	100%	90%	06/2019	नहर
20	संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना	विदिशा	291.95	13693	76.52	100%	98%	03/2020	नहर
21	बर्घरू मध्यम परियोजना	विदिशा	88.57	2250	10.60	100%	98%	03/2019	नहर
22	टेम मध्यम परियोजना	विदिशा	383.15	9990	48.975	0%	0%	03/2022	प्रेशराइज्ड पाइप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	आसन बैराज	मुरैना	112.83	5500	30.63	95%	आवश्यक नहीं	03/2019	बैराज (कोतवाल एवं पिलौआ बांध की पूर्ति हेतु)
24	रिछारा सिरोल परि.	दतिया	8.26	1000	–	आवश्यक नहीं	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	–	प्रेशराइज्ड पाइप (राजघाट परि. से)
25	खर्राघाट मध्यम परियोजना	दतिया	33.07	3500	–	आवश्यक नहीं	85%	05/2019	नहर (राजघाट परि. से)
26	सरकुला मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	226.62	6500	24.09	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप दोनों
27	परकुल परियोजना	सागर	114.96	3200	20.37	32%	52%	03/2019	नहर
28	सूरजपुरा परियोजना	सागर	70.61	4325	26.22	100%	70%	03/2019	नहर
29	सोनपुर परियोजना	सागर	127.46	7000	39.24	100%	60%	06/2019	नहर
30	कोपरा परियोजना	सागर	292.38	9990	41.24	0%	0%	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
31	आपचंद परियोजना	सागर	162.66	4830	18.23	0%	0%	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
32	सतधारू परियोजना	दमोह	315.65	7555	63.03	3%	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	06/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
33	पवई परियोजना	पन्ना	600.81	19534	100.99	91%	75%	03/2019	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप दोनों
34	रून्ज परियोजना	पन्ना	269.79	12550	64.70	5%	0%	06/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
35	मझगांय परियोजना	पन्ना	358.99	12600	105.23	27%	0%	06/2020	प्रेशराइज्ड पाइप

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	श्यामरी परियोजना	छतरपुर	114.76	1000	47.27	18%	0%	03/2020	नहर
37	तरपेड परियोजना	छतरपुर	113.46	4000	37.56	95%	90%	03/2019	नहर
38	जूड़ी परि.	दमोह/ छतरपुर	240.24	8500	28.33	निविदा आमंत्रित		03/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
39	कड़ान परि.	सागर	385.79	9990	40.05	निर्माण कार्य प्रगति पर		05/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
40	कैथ परियोजना	सागर	162.47	5135	21.12	निविदा आमंत्रित		03/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
41	साजली परि.	दमोह	366.00	9950	38.23	42%	40%	02/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
42	पारसडोह परि.	बैतूल	382.29	13340	69.82	100%	10%	06/2020	प्रेशराइज्ड पाइप
43	वर्धा परि.	बैतूल	155.26	5700	23.30	5%	0%	12/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
44	निरगुड़ परि.	बैतूल	99.87	3500	13.97	5%	0%	12/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
45	गढ़ा परि.	बैतूल	307.52	8500	31.88	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
46	घोघरी परि.	बैतूल	318.66	9990	37.88	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
47	मेढ़ा परि.	बैतूल	268.71	5800	34.11	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
48	सातलदेही परि.	बैतूल	110.83	3000	14.17	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप
49	बिलगाँव जलाशय परि.	डिण्डौरी	269.90	9980	58.12	100%	95%	06/2019	नहर
50	मुड़की जलाशय परि.	डिण्डौरी	169.03	5150	27.67	45%	25%	06/2019	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप दोनों
51	डिण्डौरी जलाशय परि.	डिण्डौरी	384.08	9920	79.23	0%	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
52	करंजिया नहर परियोजना	डिण्डौरी	132.00	9100	–	आवश्यक नहीं	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	–	प्रेशराइज्ड पाइप (डिण्डोरी परि. से)
53	खरमेर जलाशय परि.	डिण्डौरी	348.10	9980	46.79	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		–	प्रेशराइज्ड पाइप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/ वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	अपर तिलवारा नहर प्रणाली	सिवनी	120.02	7950	–	आवश्यक नहीं	75%	06/2019	नहर (सं.सरो. परि. से)
55	छीताखुदरी जलाशय परि.	जबलपुर	310.01	8920	69.74	15%	निविदा आमंत्रित	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप
56	बघराजी नहर प्रणाली	जबलपुर	33.42	2600	–	आवश्यक नहीं	निविदा आमंत्रित	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप (हिरन परि. से)
57	हिरन जलाशय परि.	जबलपुर	225.99	8125	31.69	10%	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	06/2021	प्रेशराइज्ड पाइप

3.1.2.2 प्रस्तावित मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ :-

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेसराइज्ड दोनों)
1	सीतामढ़ी परियोजना	अनूपपुर	343.00	14000	77.83	नहर
2	बिजना डायवर्सन पिकअप वियर	सिवनी	130.00	8000	44.80	नहर
3	डोकरिया परि.	बालाघाट	21.50	1900	10.78	नहर
4	मिड़वासा परियोजना	सागर	343.00	16200	54.00	प्रेशराइज्ड पाइप
5	बेबस परियोजना	सागर	147.00	6000	20.00	प्रेशराइज्ड पाइप
6	बिरलई परियोजना	धार	114.66	3800	15.33	प्रेशराइज्ड पाइप
7	कुण्डिया तालाब परि.	खरगोन	361.41	9950	47.55	प्रेशराइज्ड पाइप
8	बेनी तालाब परि.	बड़वानी	142.68	5500	21.335	प्रेशराइज्ड पाइप
9	पांगरी परि.	बुरहानपुर	115.70	5400	20.43	प्रेशराइज्ड पाइप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेसराइज्ड दोनों)
10	आहु परियोजना	आगर	183.89	4800	15.95	प्रेशराइज्ड पाइप
11	ऐर (सनघटा) मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	161.68	4630	21.87	नहर
12	अपर ओर मध्यम सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	240.66	9400	31.13	प्रेशराइज्ड पाइप
13	घाटाखेडी मध्यम सिचाई परियोजना	राजगढ़	205.27	6000	33.00	नहर
14	घाटखेडी तालाब परि.	रायसेन	88.70	2700	9.20	नहर रहित
15	श्यामपुर परियोजना	सीहोर	476.16	9000	30.00	प्रेशराइज्ड पाइप

3.1.2.3 चिन्हित मध्यम सिंचाई परियोजनाएं:

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड पाइप/नहर एवं प्रेसराइज्ड दोनों)
1	खिरई मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	210.00	6000	30.00	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाइप दोनों
2	विलाव उद्वहन सिंचाई परियोजना	भिण्ड	175.00	7000	20.00	नहर
3	भेंसनसाई नदी परियोजना (कन्हान सब बेसिन)	छिंदवाड़ा	174.96	5400	30.00	नहर
4	काठन बांध परि.	छतरपुर	382.00	19200	64.10	प्रेशराइज्ड पाइप
5	कासरनी परि.	देवास	181.64	6800	22.68	प्रेशराइज्ड पाइप
6	किशनपुरा परि.	देवास	275.39	8595	45.06	प्रेशराइज्ड पाइप
7	पटरानी परि.	देवास	104.94	2965	11.03	प्रेशराइज्ड पाइप
8	पिपरार परि.	खंडवा	269.60	8000	26.98	प्रेशराइज्ड पाइप
9	जावर परि.	खंडवा	79.10	2260	7.67	प्रेशराइज्ड पाइप
10	करन नदी	रतलाम	219.34	6600	34.82	प्रेशराइज्ड पाइप
11	हरवाखेड़ी(बनी) परि.	उज्जैन	106.75	3200	10.76	प्रेशराइज्ड पाइप
12	दिशाखेड़ी अन्तर्राज्यीय मध्यम योजना	गुना	186.00	9200	30.97	प्रेशराइज्ड पाइप

3.1.3 लघु सिंचाई परियोजनाएं:

प्रदेश में दिसंबर 2018 तक 5,239 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न 481 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

(राशि रु. लाख में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
1	मुरैना	17	6842	8750.00
2	शिवपुरी	11	4033	8369.00
3	श्योपुर	2	576	577.00
4	दतिया	5	1255	1525.66
5	ग्वालियर	1	225	271.43
6	भिण्ड	4	1310	1622.00
7	सागर	26	15790	47008.56
8	दमोह	2	908	1992.16
9	पन्ना	18	18227	51439.06
10	छतरपुर	4	2090	5929.55
11	टीकमगढ़	2	1151	3123.89
12	अनूपपुर	7	5525	12773.66
13	रीवा	2	2083	3688.13
14	सिंगरौली	3	564	1524.56
15	सतना	3	2965	7924.89
16	शहडोल	17	9009	29727.78
17	सीधी	1	410	1433.33
18	उमरिया	14	8017	21414.87
19	बैतूल	44	15001	36098.95
20	हरदा	0	0	0.00
21	होशंगाबाद	0	0	0.00
22	राजगढ़	26	5632	13330.24
23	रायसेन	17	7914	21137.49
24	भोपाल	0	0	0.00
25	विदिशा	11	2756	13681.09
26	सीहोर	23	7014	16081.72
27	गुना	4	1942	6346.69
28	अशोकनगर	6	2182	3818.24
29	छिंदवाड़ा	27	11900	30626.01
30	डिंडोरी	5	2758	7359.46
31	जबलपुर	2	2,833	7270.90
32	मंडला	6	3435	11015.26
33	सिवनी	24	12109	28764.15
34	कटनी	4	926	2922.98
35	नरसिंहपुर	1	500	1310.99
36	बालाघाट	8	2542	9713.92
37	अलीराजपुर	12	3380	6242.03
38	आगर	8	3836	5839.96
39	बड़वानी	13	7610	19383.97
40	बुरहानपुर	11	3690	7347.31
41	देवास	6	2965	6294.26
42	धार	17	4885	12589.39
43	इन्दौर	4	1260	2712.73
44	झाबुआ	11	3478	5866.88
45	खंडवा	3	1682	5053.47
46	खरगोन	5	4760	13076.56
47	मंदसौर	5	1345	3336.42
48	नीमच	8	1941	5011.12
49	रतलाम	18	6360	21110.13
50	शाजापुर	7	3795	5704.44
51	उज्जैन	6	1085	2509.80
	कुल :	481	212496	540652.09

3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :-

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' लागू की गई है। ए.आई.बी. पी. एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक निम्नानुसार है:-

1. ए.आई.बी.पी।
2. हर खेत को पानी।
3. पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
4. जलग्रहण क्षेत्र विकास।

3.2.1 ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभ योजना):-

ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभ योजना) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधूरी सिंचाई परियोजनाओं, को निश्चित अवधि में पूरा करने तथा ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, जिनका वित्त पोषण राज्यों की वित्तीय क्षमता के लिये कठिन हो, को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आदिवासी एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं हेतु 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप मे उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2016 से इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अतंर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग की दस परियोजना का चयन कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। इन चयनित दस परियोजनाओं में से तीन वृहद परियोजनाएं क्रमश: (1) बाणसागर द्वितीय चरण (2) बरियारपुर बांयी तट नहर परियोजना (3) सिंध परियोजना द्वितीय चरण एवं चार मध्यम सिंचाई परियोजना क्रमश: (1) सगड़ (2) संजय सागर (3) सिंहपुर बैराज एवं (4) महुअर (ए.आई.बी.पी. मद का कार्य) पूर्ण कर ली गई है। शेष तीन वृहद में से एक माही परियोजना मार्च 2019 तक तथा पेंच व्यपवर्तन एवं महान परियोजना को जून 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इन सभी दस परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 5,01,100 हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली जावेगी।

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से वर्ष 2017-18 तक ए.आई.बी.पी. अंतर्गत 564 लघु सिंचाई परियोजनाए क्रियान्वित की गई। इनमें से 554 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इन 564 योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत राशि रु. 2911.41 करोड़ है जिसके विरुद्ध 1889.95 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। उक्त परियोजनाओं से कुल रुपांकित सिंचाई क्षमता 1,34,127 हेक्टर निर्मित किया जाना लक्षित है।

3.2.2 पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.):-

विगत 7 वर्षों से विभाग के अंतर्गत पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण एवं सिंचाई क्षमता खो चुकी लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कर सुधार का कार्य किया जा रहा है । यह कार्यक्रम हर खेत को पानी योजना का घटक है । इसके अंतर्गत वर्ष 2011 से मार्च 2018 तक कुल 345 परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 329

परियोजनाओं का पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे लगभग 95,354 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति की गई है । वर्ष 2018-19 (दिसंबर 2018 तक) में 8 नवीन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिससे 4754 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति होगी।

3.2.3 कमाण्ड क्षेत्र विकास:-

राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैंच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल किया गया है । वर्तमान में संचालनालय के अंतर्गत 23 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कुल कमाण्ड क्षेत्र 10,37,765 हेक्टर के विरुद्ध दिनांक 31.03.18 तक कुल 6,54,316 हेक्टर में फील्ड चैनल का निर्माण कार्य संपादित कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य रु. 195.72 करोड के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक रु. 84.51 करोड व्यय कर लक्षित क्षेत्र 68739 हेक्टर के विरूद्ध 32081 हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल का निर्माण कार्य संपादित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में क्षेत्र हे.में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	03/2018 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2018-19 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2018 तक	वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
1	सिंध वृहद परियोजना (फेस-II)	98250	39408.83	65252	15968	7824	0.00	पी.एम.के. एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत
2	बाण सागर परियोजना	154687	59146.30	92182	15968	8703	0.00	-तदैव-
3	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	70918	26568.03	11218	7984	2954	0.00	-तदैव-
4	महान वृहद परियोजना	16150	6056.33	9099	3992	0	0.00	-तदैव-
5	सिंहपुर परियोजना	6000	2255.00	5282	118	0	0.00	-तदैव-
6	महुअर मध्यम परियोजना	9500	3567.20	8550	0	0	0.00	-तदैव-

स. क्र.	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	03/2018 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2018-19 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2018 तक	वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
7	सगड़ मध्यम परियोजना	9478	3551.22	3858	4576	4192	0.00	-तदैव-
8	माही परियोजना	28127	12873.30	7127	9277	3992	0.00	-तदैव-
9	संजय सागर (बाह) परियोजना	9893	3705.64	2615	4868	4232	0.00	-तदैव-
10	बरियारपुर परियोजना	38990	8541.60	28362	5988	184	0.00	-तदैव-
11	कोलार परियोजना	45087	8400.00	25895	-	-	-	इनसेन्टिवाई जेशन स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये गए, स्वीकृति अप्राप्त
12	रानी अवंतीबाई लोधी सागर	157000	31162.40	62596	-	-	-	-तदैव-
13	राजघाट नहर परियोजना	164789	38936.28	119700	-	-	-	-तदैव-
14	हरसी बांध परियोजना	62675	15894.77	56138	-	-	-	-तदैव-
15	बिलगांव मध्यम परियोजना	9262	3470.34	5609	-	-	-	-तदैव-
16	गुरमा मध्यम परियोजना	4740	1684.70	2058	-	-	-	-तदैव-
17	वैनगंगा परियोजना	112900	16729.34	112900	-	-	-	-
18	कुवंरचैन सागर परियोजना	3700	614.072	3448	-	-	-	-

स. क्र.	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	03/2018 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2018-19 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2018 तक	वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
19	बाघ परियोजना	16600	2889.15	16600	-	-	-	-
20	रेहटी मध्यम परियोजना	2194	825.68	919	-	-	-	-
21	बघर्रु मध्यम परियोजना	2250	846.51	2050	-	-	-	-
22	कछाल मध्यम परियोजना	3470	1304.87	3470	-	-	-	-
23	थांवर वृहद परियोजना	11105	4759.66	9388	-	-	-	-
	कुल :	1037765	293191.22	654316	68739	32081	0.00	

3.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना :-

जल विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय, सुलभ, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के आंकड़ों को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी का यथोचित उपयोग एवं प्रसार करना सम्मिलित है।

भारत सरकार द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुल लागत रू. 3679.77 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य हेतु 90.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2016-24 तक आठ वर्षो की अवधि का होगा।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में मध्यप्रदेश के गंगा कछार (टोन्स, सोन, बेतवा, सिंध, केन धसान, एवं चंबल उप कछार) तथा नर्मदा कछार का आंशिक जल ग्रहण क्षेत्र तथा माही एवं ताप्ती कछारों के कार्यो को शामिल किया गया है। घटकों के अंर्तगत स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

Component	Description of Project Component	Grant Share in Rs. Crores		
		World Bank	MOWR GoI	Total
A	Water Resources Data Acquisition System (जल संसाधन डाटा अधिग्रहण प्रणाली)	27.00	27.00	54.00
B	Water Resources Information System (WRIS) (जल संसाधन सूचना प्रणाली)	2.25	2.25	4.50
C	Water Resources Operation and Planning System (जल संसाधन संचालन एवं योजना प्रणाली)	6.25	6.25	13.50
D	Institutions Capacity Enhancement (संस्थागत क्षमता संवर्धन/विकास)	9.00	9.00	18.00
	TOTAL	45.00	45.00	90.00

उपकछारों में जल बहाव, वर्षा, भूजल आदि के वास्तविक समय् के आंकड़ों का एकत्रीकरण (RTDAS) कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाएंगे, जिसका उपयोग प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकन के युक्तियुक्तकरण करने में सहायक होगा। उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य में जल विज्ञान अनुसंधान हेतु विभाग के साथ-साथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा।

3.4 नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाएं :-

नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

स. क्रं.	योजना का नाम	जिला	चरण	लागत (रु. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	नाबार्ड स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	कुल व्यय (रु. लाख 11/2018 तक)	टीप
1	सोनपुर मध्यम परियोजना	सागर	XVIII	12746.45	7000	11309.00	10420.94	कार्य प्रगति पर
2	बारना वृहद परियोजना (ई.आर.एम.)	रायसेन	XIX	58100.00	88000	41504.00	34075.93	कार्य प्रगति पर
3	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांध)	राजगढ़	XX	386634.00	134206	44151.73	43468.14	कार्य प्रगति पर
3(i)	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांयी तट नहर)	राजगढ़	XXI			43147.66	41766.32	कार्य प्रगति पर
3(ii)	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांयी तट वितरक नहर)	राजगढ़	XXII			90793.29	18158.56	कार्य प्रगति पर
4	पंचम नगर परियोजना काम्पलेक्स	दमोह	XXIII	67489.92	25000	30540.71	12749.86	कार्य प्रगति पर
	योग :			524970.37	254206	261446.39	142481.19	

3.5 डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) :-

राज्य में सिंचाई, जल प्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जल संसाधनों के भंडारण हेतु बांधों का निर्माण किया गया है। ICOLD (International Commission of Large Dams) के मापदंड अनुसार म.प्र. में 906 बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इन बांधों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन सामयिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विश्वबैंक के सहयोग से देश के कुल 223 बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) परियोजना प्रारंभ की गई।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2014 को 29 बांधों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. 173.99 करोड़ स्वीकृति की गई। परियोजना में फंडिंग पेटर्न 80:20 (विश्व बैंक : राज्य) रखा गया है। दिनांक 21.12.2011 को विश्व बैंक के साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध किया जाकर दिनांक 18.04.2012 से परियोजना प्रभावशील हो गई है। परियोजना का कार्यकाल जून 2020 तक है । प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत बांधों में निर्धारित क्षमता तक भराव होने से सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि होगी एवं बांधों की सुरक्षा दीर्घावधि के लिए सुनिश्चित होगी। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :

(अ) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

(ब) बांध सुरक्षा की आधार भूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(स) बांधों के उन्नयनीकरण एवं सुधारात्मक कार्य करवाना।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 22-10/2013/पी-1/इकतीस (01) दिनांक 29.07.2013 द्वारा बोधी के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

ड्रिप में 25 बांधों का चयन अंतिम रूप से किया गया है। वर्तमान में परियोजना की लागत रु. 168.80 करोड़ सीमित हो गई है। अद्यतन स्थिति में 16 बांधों में सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 09 बांधों के सुधार कार्य प्रगति पर हैं। दिसम्बर 2018 तक कुल रु. 133.62 करोड़ व्यय किये गये हैं।

3.5.1 डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट - II (DRIP-II) :-

ड्रिप - II के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित 26 बांधों के लिए रु. 103.264 करोड़ के प्रस्ताव दिनांक 23.09.2017 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को विश्व बैंक सहायतार्थ परियोजना अंतर्गत भेजे गये हैं, विवरण निम्नानुसार है :

स. क्र.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ में)
1	भगवंत सागर (सुक्ता) परियोजना	17.743
2	वीरपुर तालाब परियोजना	7.410
3	चंदिया तालाब परियोजना	1.109
4	चंदोरा परियोजना	2.680
5	चोरल परियोजना	3.500
6	देपालपुर तालाब परियोजना	2.720
7	डोकरी खेड़ा परियोजना	5.110
8	गांधीसागर परियोजना	14.563
9	हथाईखेड़ा परियोजना	0.868
10	काचन तालाब परियोजना	5.140
11	काका साहेब गाडगिल सागर परि.	1.510
12	कलियासोत परियोजना	1.521
13	केरवा बांध परियोजना	1.127
14	कुडा तालाब परियोजना	1.332
15	माही परियोजना	9.041
16	मनसूरवारी तालाब परियोजना	2.074
17	मटियारी परियोजना	0.917
18	नंदनवारा तालाब परियोजना	0.448
19	पीपलिया कुमार तालाब परियोजना	1.476
20	राजघाट परियोजना	3.165
21	रेतम बैराज	7.600
22	रूमल तालाब परियोजना	2.667
23	रूपनियाखाल तालाब परियोजना	4.555
24	साकल्दा तालाब परियोजना	0.430
25	टिल्लर परियोजना	4.480
26	वीरसागर तालाब परियोजना	0.078
	कुल योग	103.264

3.6 बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज :-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना टीकमगढ़ एवं दतिया जिले हैं । इस क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष-2010 में राशि रु. 1118.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से राशि रु. 931 करोड़ प्रथम चरण एवं सितम्बर 2013 में राशि रु. 700 करोड़ का द्वितीय चरण में विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है।

प्रथम चरण :-

स. क्र.	घटक	स्वीकृत राशि (रू. करोड)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	2017-18 में रबी सिंचाई (हेक्टर में)	प्रगति
1	राजघाट नहर परियोजना दतिया	100.00	89532	-	-
2	बरियारपुर परियोजना का निर्माण	117.00	43850	21360	पूर्ण
3	सिंहपुर बैराज का निर्माण	100.00	9900	3920	पूर्ण
4	146 लघु सिंचाई परियोजनायें	522.00	51969	35930	पूर्ण
5	78 आर.आर.आर. माइनर स्कीम तथा आर.आर.आर. उर्मिल एवं रनगवां नहर परियोजना	92.00	33169	33000	पूर्ण
	योग:	931.00	228420	94210	

द्वितीय चरण :-

स. क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड़	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	प्रगति
1	पंचमनगर परियोजना काम्पलेक्स	184.17	25000	निर्माणाधीन
2	सोनपुर मध्यम परियोजना	89.22	7000	निर्माणाधीन
3	पवई मध्यम परियोजना	183.08	19534	निर्माणाधीन
4	21 लघु सिंचाई परियोजनायें	203.53	12150	17 योजनाऐं पूर्ण , 03 योजनाऐं प्रगतिरत एवं 01 निरस्त ।
5	कमाण्ड एरिया डेब्लपमेंट वर्कस	40.00	35000	
	योग :-	700.00	98684	

3.7 केन बेतवा लिंक परियोजना :

केन-बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें केन नदी पर दौधन बांध एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना है। केन नदी मध्यप्रदेश के कटनी जिले से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलकर समाप्त होती है। केन नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र 28058 वर्ग कि.मी. का 87 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश में और 13 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। बेतवा कछार में बीना काम्पलेक्स, कोठा बैराज तथा लोअर ओर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। परियोजना से मध्यप्रदेश में माइक्रो इरीगेशन से केन कछार में 4.47 लाख हेक्टर, बेतवा कछार में 2.00 लाख हेक्टर एवं उत्तर प्रदेश में 2.31 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई तथा मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना एवं टीकमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी

जिलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना से उत्पन्न होने वाली 78 मेगावाट बिजली पर पूरा अधिकार मध्यप्रदेश का रहेगा।

बुन्देलखंड क्षेत्र में स्थित केन-बैंतवा लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के मध्य दिनांक 25.08.2005 को एक त्रिपक्षीय मेमोरंडम ऑफ अंडर स्टेडिंग भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा केन बेतवा परियेाजना की डी.पी.आर. अप्रैल, 2010 में तैयार की गई, जिसके अनुसार केन नदी पर छतरपुर, पन्ना जिले में दौधन बांध, दो पावर हाउस, दो टनल एवं 221 कि0मी0 लंबी लिंक नहर का निर्माण शामिल है। इसमें बेतवा कछार की प्रस्तावित परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। दौधन बांध की प्रस्तावित जीवित जल क्षमता 2684 MCM है। योजना में कुल डूब क्षेत्र 9000 हेक्टर है, जिसमें 5258 हेक्टर वन क्षेत्र, 2171 हेक्टर कृषि योग्य भूमि, 1571 हेक्टर तालाबों, नदियों, नालों की भूमि आ रही है। डूब क्षेत्र के 10 ग्रामों के लगभग 1913 परिवार भी विस्थापित हो रहे हैं। भारत सरकार से प्राप्त वन भूमि की अनुमति में लगभग 6017 हेक्टर राजस्व भूमि देने की बाध्यता है। वर्ष 2015-16 के मूल्य आधार पर परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन कछार में प्रस्तावित दौधन बांध एवं नहरों आदि की पुनरीक्षित लागत रू. 18057.08 करोड़ आंकलित की गई है। परियोजना की लागत रू.18057.08 करोड़ स्वीकार करते हुये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा निवेश हेतु स्वीकृति दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रदान की गई।

बेतवा कछार में प्रस्तावित तीन परियोजनायें क्रमश: बीना काम्पलेक्स से 96,000 हेक्टर, कोठा बैंराज से 20000 हेक्टर तथा लोअर ओर बांध से 90,000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की एकजाई डी.पी.आर. की वर्ष 2017-18 मूल्य आधार पर लागत लगभग 35 हजार करोड़ रुपये आंकलित की गई है। बेतवा कछार में निर्मित की जाने वाली बीना कॉम्पलेक्स, कोठा बैराज एवं लोअर ओर परियोजनाओं की पृथक-पृथक डी.पी.आर. का तकनीकी मूल्यांकन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में प्रगति पर है।

केन्द्र शासन द्वारा प्रेषित MoA प्रारूप मध्यप्रदेश द्वारा संशोधन उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो अभी विचाराधीन है।

केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण का सांकेतिक मानचित्र

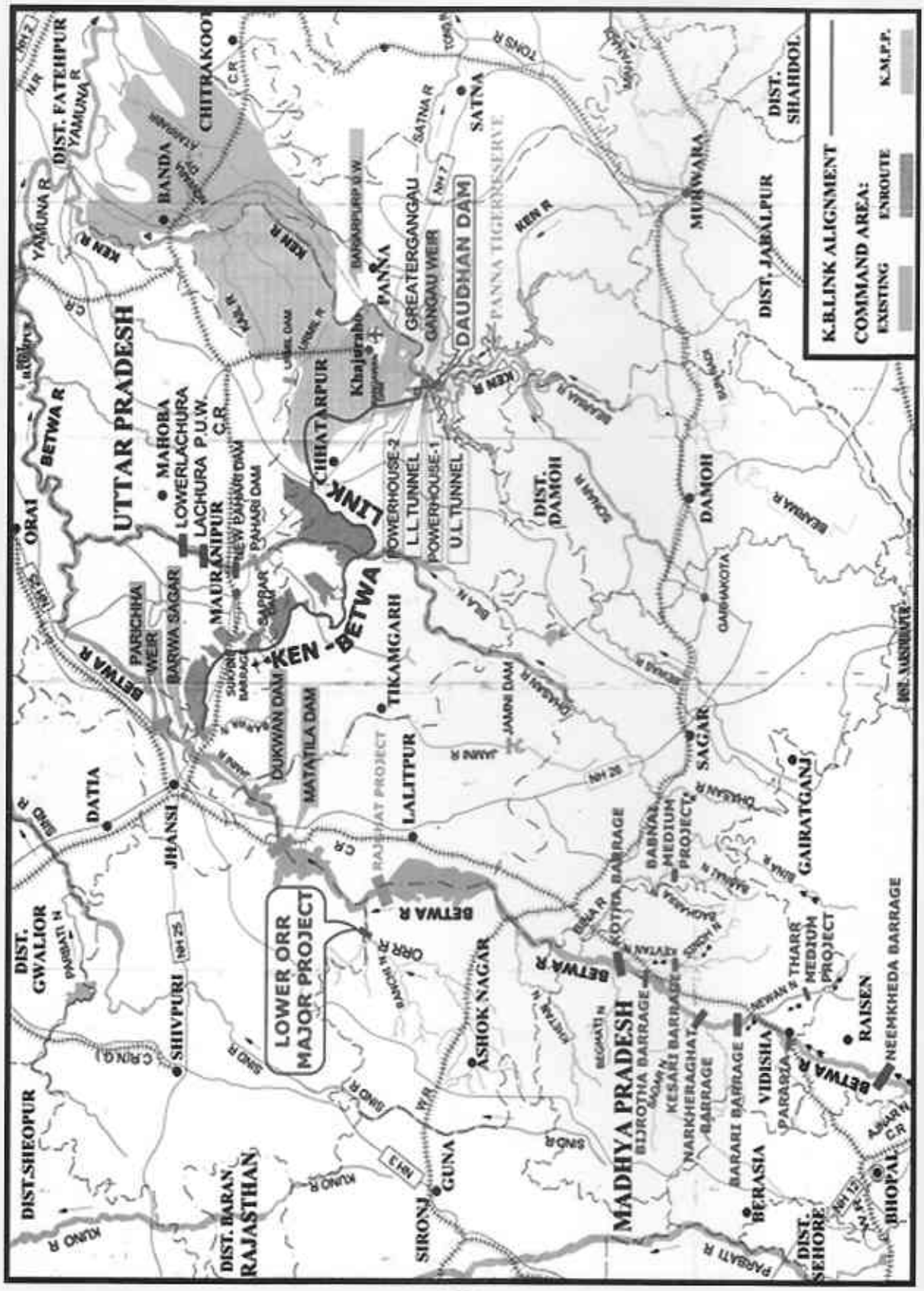

अध्याय चार

सिंचाई एवं राजस्व : लक्ष्य एवं उपलब्धियां

4.1 सिंचाई

इस वर्ष 2018-19 में 31 दिसंबर 2018 तक 27.00 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। सिंचाई परियोजनाओं में कमजोर हिस्सों को मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित किया गया और इन हिस्सों में किए जाने वाले कार्यों का आंकलन किया गया। जो कार्य ठेके से हो सकते थे उन्हें ठेके से तथा जो ठेके के माध्यम से कम समय में संभव नहीं थे उन्हें विभागीय तौर पर कराया गया। इसमें विभागीय विद्युत यांत्रिकी अमले को भी शामिल किया गया। इस कार्य में उपलब्ध विभागीय मशीनों का उपयोग कर नहरों की सफाई, सिल्ट निकालने, बैडग्रेड बनाने, अधूरी नेहरों को पूर्ण करने एवं नहरों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया। इस कार्य को अधिक गति देने एवं वर्षा पूर्व पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर भारी मशीनें लगाई गईं। जिन तालाबों में स्लूस गेट से लीकेज होता था अथवा अन्य कारणों से लीकेज से जल अपव्यय होता था, उन्हें चिन्हित कर ठीक किया गया। अधिकांश तैयारियां वर्षा आने के पूर्व कर ली गई।

वर्षा काल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए बड़े/मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत् मॉनिटरिंग 'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम' के उपयोग से की गई। प्रतिदिन वर्षा जल भराव बिना किसी खतरे के अधिकतम हो सके इसके लिए जलद्वारों को समय समय पर खोलकर जल बहाव को नियंत्रित किया गया।

25 सितम्बर की स्थिति में राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की मात्रा को कम्प्यूटर पर ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था कर अमल में लाया गया। उपलब्ध जल के आधार पर हर परियोजना का रबी सिंचाई लक्ष्य मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया। विभाग की वेबसाइट पर 'इरिगेशन मानिटरिंग सिस्टम' में इन लक्ष्यों को दर्ज किया गया तथा की गई सिंचाई के आंकड़ों की इस सिस्टम में पाक्षिक प्रविष्टी की व्यवस्था बनाई गई। वीडियो कान्फ्रेस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से पूरे रबी सत्र में सिंचाई की सतत् मानिटरिंग की गई है । सिंचाई की मानिटरिंग हेतु अंतिम छोर में स्थित कृषकों से उनके मोबाईल पर संपर्क कर मैदानी अधिकारियों द्वारा सत्त जायजा लिया गया ।

इस वर्ष (2018-19) कम वर्षा के कारण बांधों में औसत जल भराव लगभग 70 प्रतिशत ही उपलब्ध रहा इसके बावजूद उपरोक्त रणनीति के अनुसार विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने टीमभावना से एकजुट होकर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2018 तक खरीफ 2.49 लाख हेक्टर एवं रबी 27.00 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है। यह उपलब्धि सतत् अनुश्रवण, कुशल जल प्रबन्धन के कारण ही संभव हो सकी।

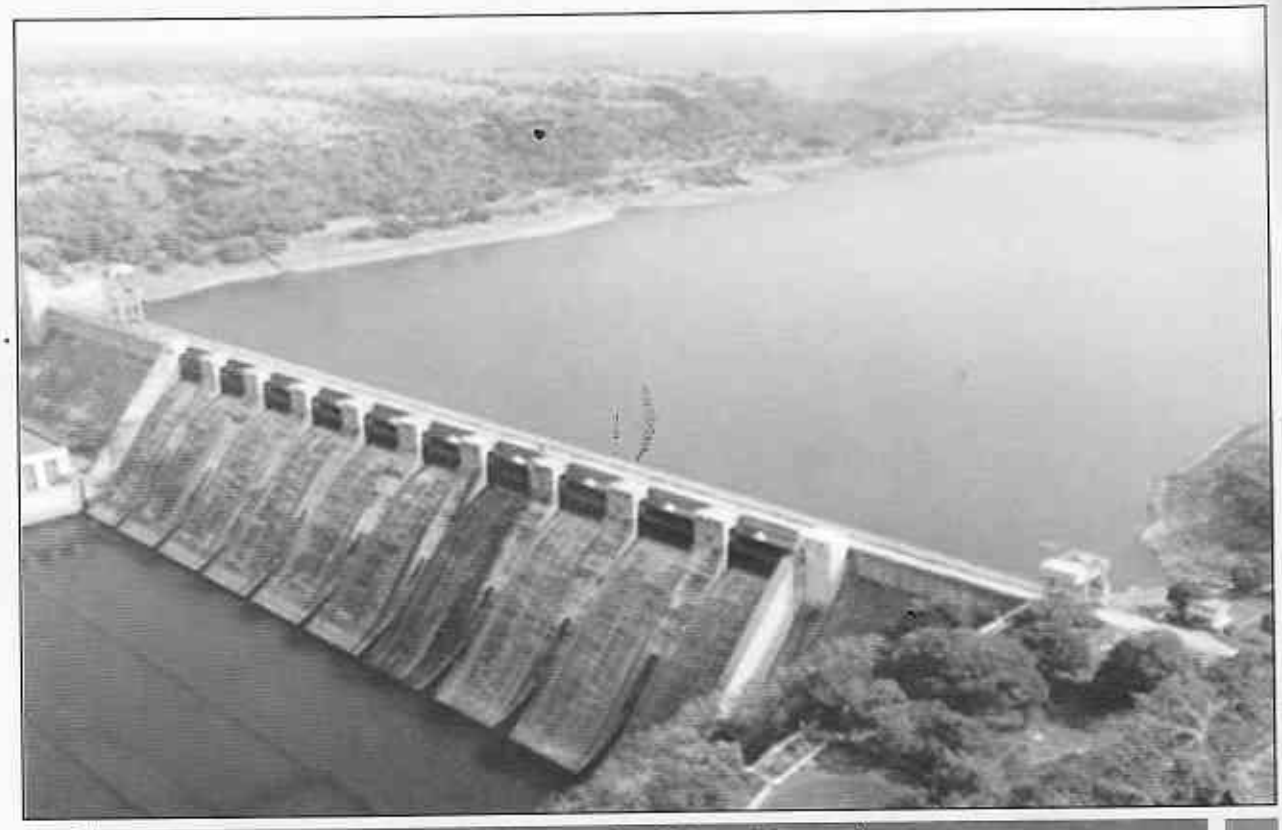

गांधी सागर बांध परियोजना, जिला मन्दसौर

कुण्डलिया सिंचाई परियोजना जिला राजगढ़

कछारवार सिंचाई

(हेक्टर में)

मुख्य अभियंता	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 12/18 तक
चम्बल बेतवा कछार	285868	311853	347516	349532	281530	331750
धसान केन कछार	213723	205150	135401	243009	150142	257503
गंगा कछार	212123	235308	213023	231933	232165	261335
नर्मदा ताप्ती कछार	361152	355646	419268	422120	369228	420169
राजघाट नहर परियोजना	247020	261265	268867	269269	266984	305159
वैनगंगा कछार	185416	175286	163012	222227	179526	232555
होशंगाबाद	400128	409440	421207	427439	401735	391192
यमुना कछार	424926	438084	476392	486095	460700	499512
रबी सिंचाई योग	2330356	2392032	2444686	2651624	2342010	2699175
खरीफ सिंचाई	215991	216966	305596	251122	131041	249828
योग	2546347	2608998	2750282	2902746	2473051	2949003

वर्षवार / कछारवार रबी सिंचाई

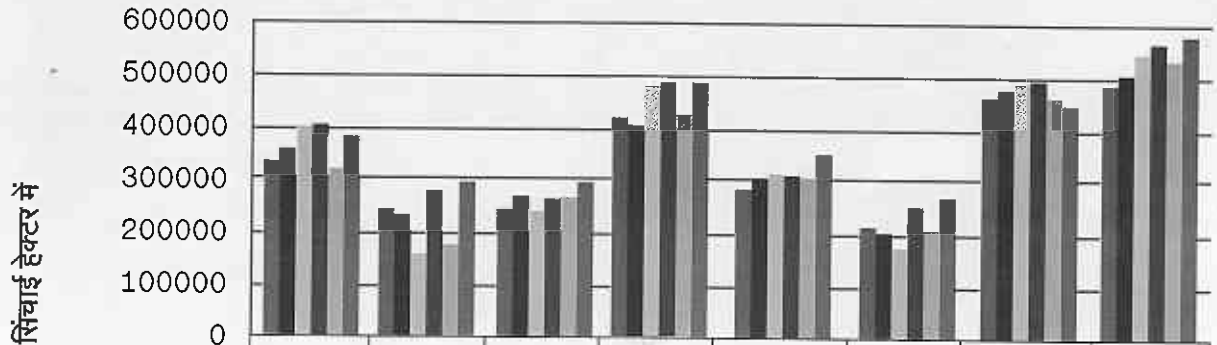

	चम्बल बेतवा कछार	धसान केन कछार	गंगा कछार	नर्मदा ताप्ती कछार	राजघाट नहर परियोजना	वैनगंगा कछार	होशंगाबाद	यमुना कछार
वर्ष 2013-14	285868	213723	212123	361152	247020	185416	400128	424926
वर्ष 2014-15	311853	205150	235308	355646	261265	175286	409440	438084
वर्ष 2015-16	347516	135401	213023	419268	268867	163012	421207	476392
वर्ष 2016-17	349532	243009	231933	422120	269269	222227	427439	486095
वर्ष 2017-18	281530	150142	232165	369228	266984	179526	401735	460700
वर्ष 2018-19 12/18 तक	331750	257503	261335	420169	305159	232555	391192	499512

4.2 राजस्व

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। इस हेतु राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वर्तमान में भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इन बाँधों द्वारा संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु किया जाता है।

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26 'ए' के अंतर्गत जल पर शासन का अधिकार है। 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जल दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की रख-रखाव की पूर्ण राशि जल कर से प्राप्त हो सके एवं यह भी ध्यान रखा जावे कि इस प्रक्रिया से कृषकों पर अत्याधिक वित्तीय भार न पड़े। वर्तमान में कृषि उत्पादन के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की राजस्व दरें, बांध एवं नहरों के निर्माण एवं रखरखाव लागत की तुलना में अत्यन्त ही कम रखी गई हैं। कृषक यदि किसी अन्य स्रोत से जल प्राप्त करते हैं तो उन्हें विभाग के द्वारा निर्धारित राजस्व राशि से कम से कम 8 गुना से अधिक राशि देना होती है। पिछले वर्षो में सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में अत्यधिक वृध्दि हुई है, लेकिन कृषि के लिए प्रदाय किये जाने वाले पानी की दरों में वर्ष दिसंबर, 2005 से कोई वृध्दि नहीं की गई है। पेयजल दर में भी वर्ष 2000 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा कृषि एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी हेतु लिया लाने वाला जल शुल्क न्यूनतम है एवं प्रतीकात्मक ही है।

4.2.1 मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मो से कृषि प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची (प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)

क्रमांक	फसलों का नाम	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
1	धान-खरीफ (प्रत्येक बार पानी)	85.00
2	हरी घास वाली फसलें- मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड़द	50.00
3	कपास (प्रत्येक बार पानी)	70.00
4	धान-रबी (प्रत्येक बार पानी)	155.00
5	गेहूं 1. पलेवा 2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी पर	 125.00 75.00
6	चना (प्रत्येक बार पानी)	75.00

क्रमांक	फसलों का नाम	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
7	धनिया, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन (रबी), तुअर (रबी), (प्रत्येक बार पानी)	75.00
8	जौं, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुइयां, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां	630.00
9	बरसीम घांस (फोडर क्रॉप)	480.00
10	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960.00
11	जमीन तैयार करने के लिए जल (पलेवा) अ- खरीफ ब- रबी	 125.00 125.00
12	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक बार पानी	50.00

4.2.2 पेयजल के लिए जल दर:

शासन ने पत्र क्रं. 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा अधिसूचना जारी कर निगम और नगरो के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की है। उक्त दर 1/4/2000 से प्रभावशील है एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्वि होगी।

4.2.3 औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल दर:

शासन के आदेश क्रमांक 18/1/91/मध्यम/31/797 दिनांक 30/11/2010 द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 01.01.2013 तक अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल दरों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार 01.01.13 से दरें निम्नानुसार है:-

क्रमांक	जल स्त्रोत	जल कर रू. (प्रति घनमीटर में)
अ.	**शासकीय स्त्रोतों से** (यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि)	5.50
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से -	
	1. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में ।	1.55

क्रमांक	जल स्त्रोत	जल कर रु. (प्रति घनमीटर में)
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशा में	1.55
	शासकीय जल भण्डारण परियोजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जनरेटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना।	20 पैसे प्रति विद्युत इकाई(किलोवाट घंटा) दर दिनांक 1.1.10 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।
	3. नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना ।	05 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट/ घंटा उत्पादन दिनांक 1.10.2010 से एवं प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।

4.3 प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	वर्ष	कृषि सिंचाई		पेयजल		उद्योग		म.प्र.रा.वि.मंडल		अन्य		कुल योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2013-14	59.75	25.26	21.46	2.76	235.50	147.01	24.19	53.03	9.10	14.23	350.00	242.30
2	2014-15	61.00	22.74	18.40	0.94	234.00	132.50	26.40	19.50	10.20	21.70	350.00	197.37
3	2015-16	74.33	24.63	36.02	2.73	296.12	187.64	42.61	50.19	50.92	25.64	500.00	290.83
4	2016-17	175.74	24.75	12.56	3.01	225.98	196.64	64.03	158.34	21.69	12.72	500.00	395.45
5	2017-18	225.19	23.53	40.83	4.61	212.40	150.78	103.00	110.77	18.58	27.70	600.00	317.38
6	2018-19 (upto12/2018)	235.14	16.12	42.21	2.72	244.40	411.44	85.00	63.58	43.25	73.99	650.00	567.85

सीप कोलार परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग

अध्याय पाँच

विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 प्रमुख अभियंता कार्यालय अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचनाएं :

5.1.1 सतर्कता प्रकोष्ठ

जल संसाधन विभाग से संबंधित लोकायुक्त संगठन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, माननीय मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि, शासन तथा सामान्यजनों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ के अंतर्गत लोकायुक्त कक्ष, सतर्कता कक्ष, जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत/उड़न दस्ता-कक्ष के माध्यम से वर्ष 2018-19 में दिनांक 31/12/18 की स्थिति में प्राप्त एवं व्यवहारित शिकायती प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

5.1.1.1 लोकायुक्त कक्ष :

1.लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरण :

लोकायुक्त कक्ष व्दारा लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 01/01/18 से 31/12/18 तक लोकायुक्त कार्यालय से 22 शिकायतें प्राप्त हुई। प्रकोष्ठ द्वारा लोकायुक्त कार्यालय व्दारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवधि में 5 प्रकरण जांच पश्चात् नस्तीबद्ध किये गये हैं। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2.राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रकरण :

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सीधे मूलत: विभाग को प्रेषित तथा शासन के माध्यम से विभाग को मूलत: प्रेषित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाकर जांच प्रतिवेदन शासन/ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है। दिनांक 01/01/18 से दिनांक 31/12/18 तक 18 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए। विभाग द्वारा शिकायती प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

5.1.1.2 सतर्कता कक्ष :

माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, अन्य मंत्रीगण, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव महोदय एवं शासन से प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता कक्ष के माध्यम से

की जाती है । जांच उपरांत, जांच प्रतिवेदन शासन तथा उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाते है। दिनांक 01/01/18 से 31/12/18 तक 26 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये। इस अवधि में 7 प्रकरण जांच पश्चात् नस्तीबद्ध किये गये हैं । शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5.1.1.3 जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत /उड़न दस्ता कक्ष :

शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा सामान्य नागरिक, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों से सीधे अथवा शासन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इस कक्ष द्वारा व्यवहारित की जाती हैं।

1.जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें :-

वर्ष 2018-19 में दिनांक 31/12/18 तक 6 शिकायती प्रकरण, जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त हुये, दिनांक 01/01/18 से 31/12/18 तक कुल 02 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. सामान्य शिकायतें :-

वर्ष 2018-19 में दिनांक 31/12/18 तक 216 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये, दिनांक 01/01/18 से 31/12/18 तक 66 प्रकरणों का निराकरण किया गया । शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. उड़नदस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :-

दिनांक 01/01/18 से 31/12/18 तक उड़न दस्ता दल से जांच हेतु 06 प्रकरण प्राप्त हुये । इन प्रकरणों पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5.1.2 न्यायालयीन प्रकोष्ठ

प्रकोष्ठ अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी दिसम्बर-2018 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
1	दै.वे.भो. से संबंधित	148	8	496	36	170	133	0	0	991
2	कार्यभारित से संबंधित प्रकरण	2	0	234	0	56	6	0	0	298
3	नियमित स्थापना से संबंधित प्रकरण	0	0	465	2	48	0	1	0	516
4	ठेकेदारों से सबंधित	3	0	130	3	0	0	31	162	329

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
5	भू-अर्जन से संबंधित	0	0	830	0	1	0	1458	0	2289
6	अन्य जन सामान्य से संबंधित प्रकरण	2	0	220	0	32	6	108	3	371
	कुल योग	155	8	2375	41	307	145	1598	165	4794

5.1.3 विधानसभा प्रकोष्ठ

विभाग में वर्ष 2018-19 में प्राप्त विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन, अधिसूचना, अशासकीय संकल्प, अभ्यावेदन याचिका की स्थिति निम्नानुसार है:-

प्रकरण के प्रकार	दिसंबर-2018 तक
विधान सभा प्रश्न	363
ध्यानाकर्षण सूचना	33
अधिसूचना	0
अशासकीय संकल्प	0
स्थगन प्रस्ताव	0
आश्वासन	07
अभ्यावेदन	02
याचिका	53
शून्य काल	07
कट मोशन	0
पढ़ी गई सूचना	06

5.1.4 सूचना का अधिकार

जल संसाधन विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मई 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ''सूचना के अधिकार'' के तहत जनसाधारण शासकीय अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। शासन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी अवर सचिव, लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी सचिव, जल संसाधन हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया हैं। प्रमुख अभियंता विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं।

5.2 आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचना :

5.2.1 सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संचालनालय (पी.आई.एम.)

देश में मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठनों को कार्य करने हेतु स्वतंत्र एवं वैधानिक रुप से अधिकृत किया गया है।

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू होने के पश्चात् प्रथम बार माह मई 2015 में 79 एवं मार्च 2016 में 180 नवनिर्मित जल उपभोक्ता संथाओं का निर्वाचन कराया गया। तत्पश्चात् नवम्बर 2016 में 1765, मई 2017 में 79 पूर्व निर्मित एवं 21 नवनिर्मित संथाओं का निर्वाचन कराया गया। मार्च 2018 में 180 पूर्व निर्मित संथाओं के एक तिहाई टी.सी. सदस्यों सहित 19 नवनिर्मित जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के टी.सी. सदस्यों एवं अध्यक्षों के निर्वाचन कराए गए। नवम्बर 2016 में निर्वाचित 1765 संथाओं के एक तिहाई सदस्यों एवं मार्च 2018 में विभिन्न कारणों से निर्वाचन से वंचित रह गए 9 जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के टी.सी. सदस्यों एवं अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया वर्तमान में गतिशील है।

वर्तमान में कुल 2064 जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से 24.74 लाख हेक्टर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य सहभागिता से किया जा रहा है । मई 2015 एवं मार्च 2016 में निर्वाचित 259 जल उपभोक्ता संथाओं एवं नवम्बर 2016 में निर्वाचित 1765 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सक्षम प्राधिकारियों को भोपाल स्थित वाल्मी प्रशिक्षण केन्द्र में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है ।

विभिन्न परियोजनावार एवं मुख्य अभियंतावार गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या एवं कमाण्ड क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है:-

परियोजनावार जल उपभोक्ता संथाओं की जानकारी

स. क्र.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.सं.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
1	गंगा कछार, रीवा	70	1.44	14	0.21	90	0.75	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	108	2.02	57	0.77	232	1.59	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	176	3.04	15	0.25	48	0.37	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	16	0.28	42	0.78	162	1.00	220	2.07

स. क्र.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.सं.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
5	राजघाट परियोजना, दतिया	140	2.51	3	0.03	4	0.02	147	2.57
6	यमुना कछार, ग्वालियर	164	3.97	16	0.30	41	0.27	221	4.54
7	नर्मदा तापी कछार, इन्दौर	21	0.29	42	0.62	357	2.00	420	2.91
8	धसान केन कछार, सागर	34	0.52	33	0.49	179	1.20	246	2.21
	योग:-	729	14.07	222	3.46	1113	7.21	2064	24.74

5.3 मुख्य अभियंता बोधी के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचनाएं :-

5.3.1 बाँध सुरक्षा संगठन-

बाँध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बाँधों का निरीक्षण कर बाँधो की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बाँधो को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बाँधो के सुधारों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश समिति के अध्यक्ष हैं एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता,सदस्य हैं। संचालक, बाँध सुरक्षा समिति के सचिव नियुक्त किऐ गए है।

5.3.1.1 बाँध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्य:-

- बाँध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
- राज्य स्तरीय बाँधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बाँधो के निरीक्षण प्रतिवेदनों की परिवीक्षा करना तथा इनके आधार पर बाँधो की स्थिति के संबध में प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त बड़े बाँधों का निरीक्षण किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अनुशंसा करना।
- बड़े बाँधो जिनकी ऊंचाई 15 मी. से अधिक या जल क्षमता 60 मि.घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाना।

- निर्माणाधीन समस्त बड़े बाँधो के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। समस्त बड़े बाँधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, की परिवीक्षा करना।
- बड़े बाँधो में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ो का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- बाँधो में बड़ी आपदा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों को सहयोग करना, विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के लिए कार्यवाही करना तथा उक्त पैनल के सुझावों को समन्वित करना। पैनल द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण कार्य में समन्वय करना तथा पैनल को प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देना।
- राज्य के समस्त बड़े बाँधों की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बाँध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।
- बाँध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिये बांध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख–रखाव, संचालन तथा आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.3.2 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय :–

विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अंतर्गत भोपाल (हथाईखेड़ा) में एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1970 में की गई । तदोपरान्त वर्ष 1985 में यू.एस.ए.आई.डी. के अंतर्गत भोपाल प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया एवं जबलपुर में अस्थायी मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला प्रारम्भ की गयी, जो कि वर्ष 1988 से स्थायी रूप से संचालित है।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं धातु परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत हैं । वर्तमान में संचालनालय मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल के अधीन कार्यरत है। संचालनालय, सिंचाई अनुसंधान के अधीन म.प्र. में निम्नानुसार प्रयोगशालायें कार्यरत हैं :–

(A) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :-

1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफॉरमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना।

2) प्रस्तावित एनर्जी डिसीपेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना।

3) निर्माणाधीन परियोजना का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।

4) परियोजना के गेट ऑपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।

5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।

6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।

वर्ष 2018-19 में निम्न परियोजनाओं के मॉडल अध्ययन का कार्य किया जा रहा है :-

1. इंदोख बैराज (जिला, उज्जैन) का द्वि-आयामीय मॉडल ।
2. लोअर ओर वृहद परियोजना (जिला शिवपुरी) का द्वि-आयामीय मॉडल, ।
3. रुंज मध्यम परियोजना (जिला पन्ना) का द्वि-आयामीय मॉडल, ।
4. बरखेड़ा मध्यम परियोजना (जिला धार) का द्वि-आयामीय मॉडल।

(B) मिट्टी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल एवं जबलपुर :-

1) परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित् करना ।

2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित् करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं।

3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व कॉम्पेक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आंकलन करना।

4) सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी की मात्रा का मिक्स डिजाइन द्वारा विभिन्न ग्रेड की कांक्रीट हेतु निर्धारण करना।

5) पक्के बांधों से होने वाले जल रिसाव के रासायनिक परीक्षण करने का कार्य।

वर्ष–2018–19 में संपादित परीक्षण का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	मिट्टी परीक्षण	रेत परीक्षण	धातु परीक्षण	सीमेंट परीक्षण	मिक्स डिजाइन	क्यूब टेस्टिंग	कुल नमूने
1	मिट्टी/धातु परीक्षण संभाग, भोपाल	987	20	148	33	07	186	1381
2	मिट्टी/धातु परीक्षण संभाग, जबलपुर	21	02	13	–	–	–	36

5.3.2.1 हथाईखेड़ा प्रयोगशाला भोपाल का आधुनिकीकरण :–

(1) हथाईखेड़ा प्रयोगशाला में मिट्टी एवं धातु परीक्षण तथा रसायन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) हथाईखेड़ा जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

5.3.3 जल मौसम विज्ञान संचालनालय :–

मध्यप्रदेश में जल मौसम विज्ञान संरचना की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल मौसम विज्ञान के अंतर्गत स्थापित विभिन्न वर्षा मापी केन्द्रों, जल प्रवाह मापन स्थलों एवं मौसम केन्द्रों से आंकड़े एकत्रित करना एवं उनका उपयोग विभागीय कार्यों हेतु करना है।

इन कार्यों के सम्पादन हेतु सर्वप्रथम विभागीय मद से प्रदेश के विभिन्न कछारों में जल मौसम विज्ञान स्थलों की नेटवर्क की स्थापना वर्ष 1981 में शुरु की गई थी। इसके पश्चात् विश्व बैंक की सहायता से जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत 1995 से 2003 तक माही, ताप्ती एवं वैनगंगा कछारों में स्थापित जल मौसम विज्ञान केन्द्रों का उन्नयन एवं कुछ नये कार्यस्थल स्थापित किये गये। जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती एवं माही कछार में डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर, जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये हैं। जल मौसम के हर घंटे के आँकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाइम डाटा एक्विजीशन सिस्टम (RTDAS) वैनगंगा कछार में स्थापित किया गया । इस प्रणाली के अंतर्गत 29 वर्षामापी, 3 पूर्ण मौसम केन्द्र एवं 14 वाटर लेवल रिकार्डर स्थापित किये गये हैं। RTDAS का सम्पूर्ण डाटा भोपाल स्थित डाटा सेंटर में प्राप्त हो रहा है ।

5.3.4 भू–जल सर्वेक्षण ईकाई:–

भू–जल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन् 1970 से भूजल के सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना में मुख्य अभियंता बोधी के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल एवं अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर कार्यरत हैं। भोपाल मण्डल के अधीन चार संभागीय वरिष्ठ भूजलविद कार्यालय क्रमश: उज्जैन, सागर, ग्वालियर

और खण्डवा तथा 23 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयां व चार रसायनिक प्रयोगशालाएं सागर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल में कार्यरत हैं। अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर के अधीन तीन संभागीय वरिष्ठ भूजलविद कार्यालय क्रमश: जबलपुर, बालाघाट, एवं रीवा तथा 14 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों के साथ तीन रासायनिक प्रयोगशालाओं क्रमश: जबलपुर, बालाघाट एवं सतना के द्वारा भूजल सर्वेक्षण, अध्ययन, भूजल विकास एवं भूजल विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

5.3.4.1 भू-जल सर्वेक्षण संरचना के नियमित कार्य:-

भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 5071 स्थायी अवलोकन कूप एवं 540 पीजो मीटर हैं। इस संरचना द्वारा भूजल स्तर मापन एवं अध्ययन का कार्य वर्ष में चार बार 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम के दौरान) 20 मई से 30 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) एवं 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।

1. पीजोमीटर में भूजल स्तर का मापन कार्य प्रतिमाह किया जाता है।
2. भूजल नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कार्य वर्ष में दो बार 20 मई से 30 मई (वर्षा पूर्व) 01 नवंबर से 10 नवंबर (वर्षा पश्चात्) किया जाता है।
3. भूजल आंकलन प्रतिवेदन प्रति दो वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है।
4. कूप एवं नलकूप खनन हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु भू-भौतिकी सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत एच.पी.-1 और एच.पी.-2 में हुए कार्यों का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है।

5.3.4.2 भूजल सर्वेक्षण संरचना की प्रस्तावित योजनाएं :-

(1) अटल भूजल योजना (ABHY)

इस योजना के अंतर्गत बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 5 जिले सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ के निम्नानुसार 9 विकासखण्ड (सभी विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं) में भूजल के संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियाँ ली जाना प्रस्तावित हैं:-

स. क्र.	जिला	विकासखण्ड
1	सागर	सागर
2	दमोह	पथरिया
3	पन्ना	अजयगढ़
4	छतरपुर	छतरपुर, नौगाँव एवं राजनगर
5	टीकमगढ़	निवाडी, बलदेवगढ़ एवं पलेरा

वर्तमान में योजना में केन्द्र सरकार द्वारा EFC अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलन में है।

(2) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-HKKP-GW) :-

इस योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी कम्पोनेंट में भूजल के उपयोग से कुएँ एवं ट्यूबवेल इत्यादि खोदकर सिंचाई किये जाने बाबत् भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर योजना प्रस्तावित की गई है, इस योजना अर्थात् (PMKSY-HKKP-GW) में कार्य करने हेतु ऐसे पांच जिलों का चयन किया गया है, जहाँ वर्तमान में सिंचाई कम है । ये जिले हैं :- 1. मण्डला, 2. डिंडोरी, 3. उमरिया, 4. शहडोल एवं 5. पन्ना।

वर्तमान में इस योजना में क्रियान्वयन संबंधी सहमति तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन की कार्यवाही अपेक्षित है।

5.4 मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचना :-

5.4.1 केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई

जल ससांधन विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी का पद विशेष कार्यो को संपादित करने हेतु सृजित किया गया है। विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अंतर्गत केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के डेम, केनाल, बैराज एवं स्टाप डेम हेतु छोटे बड़े आकार के कुल 1505 जलद्वारों का निर्माण कार्य एवं स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता एवं निश्चित समयावधि में एवं आर्थिक मितव्ययिता के साथ पूर्ण किया गया। जलद्वारों के निर्माण कार्य में कुल 488.95 मैट्रिक टन स्टील से गेट फैब्रीकेशन का कार्य हुआ जिसकी लागत 707.12 लाख रही।

विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अधीन कार्यरत 4 भारी मशीनरी संभागो द्वारा प्रतिवेदित सत्र में प्रदेश की विभिन्न नागरिक परियोजनाओं पर चल रहे अर्थवर्क की मिट्टी दाब का लगभग 130.41 लाख घन मीटर का कार्य सफलतापूर्वक उच्चगुणवत्ता एवं आर्थिक मितव्ययिता के साथ समयावधि में पूर्ण किया गया।

अध्याय छः

जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि

मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इस उद्धेश्य से म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 4 (क) (एक) के द्वारा किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भू-धारकों की पत्नियाँ जो कि भू-धारक नहीं हैं, को भी भू-धारक मान्य किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदाय किया जाकर सशक्त किया गया है।

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 32/1/99/मध्यम/31/1244 दिनांक 13.5.2000 के अनुसार यदि किसी कृषक संगठन में कोई महिला सदस्य निर्वाचित नही होती तो कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसी संगठन क्षेत्र की किसी महिला को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी, ताकि सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 11 के अधीन कृषक संगठन के संचालन के लिए गठित की जाने वाली 6 उपसमितियों में से एक उपसमिति ''महिलाओं की भागीदारी उपसमिति'' गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें सभी 6 सदस्य महिलायें होंगी एवं इस समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रदेश में विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें सशक्त बनाए जाने के लिऐ कृषि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये भी प्रावधान है।

मोहनपुरा परियोजना, जिला राजगढ़

बानसुजारा परियोजना जिला टीकमगढ़

एम.एस पाइप की बाहरी सतह पर
30 मि.मी. मोटाई की गनिटिंग

2600 मि.मी. से 400 मि.मी. व्यास के
एम एस पाइप की फील्ड लेईंग

315 मि.मी. से 63 मि.मी. व्यास के
एचडीपीई पाइप की फील्ड लेईंग

आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम
20 हेक्टेयर चक पर

सोलर पैनल

स्प्रिंक्लर सिस्टम B2DY1 नेटवर्क में
कार्य करते हुए

अध्याय सात

विभाग की प्रतिबद्धताएं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1 विभाग की प्रतिबद्धता :

जल संसाधन विभाग को सैंच्य क्षेत्र बढ़ाने का महती दायित्व सौंपा गया है। कृषकों को सिंचाई सुविधा में बढ़ावा देना एवं उन्नत किस्म के खाद-बीज हेतु ऋण सस्ते ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने बाबत् समुचित प्रयास किये जाना कृषकों के लिए अति महत्वपूर्ण है।

सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा सभी दिशाओं में समुचित प्रयास कर सफलता प्राप्त की जा रही है। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2018 तक लगभग 33.00 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है । आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 45 लाख हेक्टर है ।

राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य किये जाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 में रु. 21827.55 करोड़ का निवेश कर 5.41 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई ।

सभी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई जल पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के जल का उच्चतम दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित् हो सके। इसी क्रम में समस्त वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हो सके।

सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य से माईक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की 24 वृहद एवं 35 मध्यम सूक्ष्म परियोजनाओं से लगभग 15 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान किये गये हैं।

विभाग के द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ-साथ नाबार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि से भरसक प्रयास कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम धनराशि प्राप्त की जा रही है।

7.2 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- विभाग को वर्ष 2018–19 में निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध आवंटन रु. 7030.07 करोड़ के विरूद्ध दिसंबर 2018 तक रु. 5154.71 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वर्ष 2018–19 में 1.75 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2018 तक 1.31 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है।
- वर्ष 2018–19 में विभाग द्वारा रबी सिंचाई लक्ष्य 29.37 लाख हेक्टर के विरुद्ध दिसंबर 2018 तक 27.00 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा चुकी है।
- सिंचाई के दौरान जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों एवं नहर के अंतिम छोर के किसानों से मोबाईल फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे सतत् संपर्क करके सिंचाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित किया गया।
- 11 वृहद् परियोजनाए यथा राजगढ़ जिले की पार्वती एवं सुठालिया, दमोह जिले की सीतान–गर, सागर जिले की बण्डा एवं हनौता, विदिशा जिले की कोठा बैराज, बैतूल जिले की ताप्ती (चिल्लूर), शहडोल जिले की भन्नी, श्योपुर जिले की मुंझरी व चंबल तथा दतिया जिले की मॉ रतनगढ़ परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जाकर निर्माण प्रक्रिया में है।
- 13 मध्यम परियोजनाए यथा बैतूल जिले की गढ़ा, सातलदेही, घोघरी, निरगुड़, वर्धा एवं मेढ़ा, सीहोर जिले की मोगराखेड़ा, सनकोटा एवं कान्याखेड़ी, शिवपुरी जिले की सरकुला तथा सागर ज़िले की आपचंद एवं कोपरा व सतना जिले की झिन्ना परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जाकर निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।
- वर्ष 2018–19 में विभिन्न मदों के अंतर्गत दिसंबर–2018 तक 246 नवीन लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जिनके पूर्ण होने पर कुल 79983 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- वर्ष 2018–19 में कुल 100 लघु योजनाएं पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर–2018 तक कुल 82 लघु सिंचाई योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं, इनसे 31205 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।
- वर्ष 2018–19 में दिसंबर–2018 तक आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत 18 योजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिससे 21155 हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई।
- वर्ष 2018–19 में मोहनपुरा, कुण्डलिया एवं बानसुजारा वृहद परियोजनाओं के बांधों का

निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा नहरों का निर्माण कार्य त्वरित गति से प्रगतिशील हैं। इनके पूर्ण होने पर 334206 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

- नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 3 वृहद एवं 1 मध्यम परियोजना(कुल 4 योजनाऐं) निर्माणाधीन हैं।
- कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 68739 हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2018 तक 32081 हेक्टर में कमांड क्षेत्र विकास कार्य किये गये हैं।
- विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अंतर्गत केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई द्वारा वर्ष 2017-18 में निर्माणाधीन परियोजनाओं के बांधों, नहरों, बैराज एवं स्टाप डेम हेतु छोटे बड़े आकार के कुल 1505 जल द्वारों का निर्माण कार्य एवं स्थापना का कार्य उच्च गुणवत्ता एवं निश्चित समयावधि में आर्थिक मितव्ययिता के साथ पूर्ण किया।

निर्माणाधीन पवई परियोजना, जिला पन्ना

बानसुजारा परियोजना जिला टीकमगढ के बांध से वर्षाकाल में अतिरिक्त जलबहाव का विहंगम दृश्य

पेंच व्यपवर्तन योजना, बांयी पार्श्व नहर के स्लूस का अपस्ट्रीम

पेंच व्यपवर्तन योजना, बांयी पार्श्व नहर के स्लूस का डाउनस्ट्रीम

19/07/19

माही परियोजना (जिला धार) की मुख्य नहर पर उंडवा एक्वाडक्ट आर.डी. 810मी. का दृश्य